राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / पार्ट–1 / 2010 जयपुर, दिनांक : 24 APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल स्त्रोतों के रख रखाव तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्र में आ रही रूकावटों को दूर करने के कार्य बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 के बजट भाषण में घोषणा की है कि "नरेगा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध जल स्त्रोतों के रख रखाव तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्र में आ रही रूकावटों को दूर करवाने के कार्य भी प्राथमिकता से करवाये जायेंगे, ताकि जल स्त्रोतों में पानी की आवक निर्बाध बनी रहे।"

इस संबन्ध में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 के बिन्दु संख्या 6.1.3 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी स्कीम के बिन्दु संख्या 20(3) के प्रावधानों के अनुरूप योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियों के साथ साथ योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में सम्मिलित अन्य योजनाओं में कराये गये कार्यों के रख रखाव के कार्य योजनान्तर्गत कराए जा सकते है। अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 5 में परम्परागत जल स्त्रोतों के जीर्णोद्वार / नवीनीकरण जिसमें तालाबों से गाद (मिट्टी) निकालने के कार्य सम्मिलित है, कराए जा सकते है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा 2012–13 के अनुरूप जल स्त्रोतों के रख रखाव के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें। इसके तहत जल स्त्रोतों में पानी की आवक हेतु फीडर चैनल की मरम्मत / गाद निकालने के कार्य, जल स्त्रोतों के सुदृढीकरण के कार्य जिससे कि पानी का भण्डारण सुनिश्चित किया जा सकें, जल स्त्रोतों में पानी की आवक हेतु चैनलाईजेशन का कार्य इत्यादि कार्य कराए जा सकते है।

इस संबन्ध में आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें। साथ ही यह भी अवगत कराने का श्रम करावें कि जल स्त्रोतों के रख रखाव हेतु किस किस प्रकार के कितने कितने कार्य वार्षिक कार्य योजना 2012–13 में सम्मिलित किये गये है।

भवदीय

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस